बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक / स्वा. / 2022–23 18370–71 दिनांक 14/10/22

(ए.आर.सी ई–निविदा सूचना 01.. 2022–23)

नगर निगम बीकानेर की नथानिया गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपुर्ति कार्य दर संविदा हेतु पंजीकृत फर्मो द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल लागतः– 98.00 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमाक / यंत्रालय / 2022–23 18370–71 दिनांक 14/10/22

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशनः–
   - एक मुख्य क्षेत्रीय दैनीक सामाचार पत्र में।
   - एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक सामाचार पत्र एवं अखिल स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में **RTPP** नियमानुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई–मेल **आईडी** nagarnigambikaner@gmail.com, पर भिजवाने का श्रम करें।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक /~~संत्रालय~~/ स्वा. / 2022–23 18370–71 दिनांक 14/10/22

(ए.आर.सी ई–निविदा सूचना 01 2022–23)

नगर निगम बीकानेर की नथानिया गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपुर्ति कार्य दर संविदा हेतु पंजीकृत फर्मो द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल लागतः– 98.00 लाख

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

क्रमांक / ~~यंत्रालय~~ स्वा. / 2022–23 18372–76 दिनांक 14/10/22

(ए.आर.सी ई–निविदा सूचना 01. 2022–23)

नगर निगम बीकानेर की नथानिया गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपुर्ति कार्य दर संविदा हेतु पंजीकृत फर्मो द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बधित विवरण राज्य सरकार की ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम, बीकानेर की वेबवाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं।

निविदा का कुल लागतः– 98.00 लाख

1	निविदा कार्य	नगर निगम बीकानेर की नथानिया गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपुर्ति कार्य।
2	निविदा की कुल लागत	98.00 लाख
03	कार्य की कुल समय अवधि	01 वर्ष
3	ऑनलाईन निविदा फोर्म मिलने की तिथि	दिनांक 15/10/2022 को 9.30 बजे से 26/10/2022 तक
04	ऑनलाईन निविदा फोर्म जमा कराने की तिथि	दिनांक 15/10/2022 को 9.30 बजे से 26/10/2022 तक
05	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 27/10/2022 को दोपहर 3 बजे के बाद
06	ऑनलाईन वितिय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी बिड में सफल फर्मो की ही वितीय बिड खोली जायेगी जिसके लिये अलग से सुचना दी जायेगी

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

क्रमांक / यंत्रालय / 2022–23 18372–76 दिनांक 14/10/22

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् निदेशक एवं सयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम बीकानेर।
3. जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
4. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

2. **वितीय बिड(द्वितीय भाग)**:– तकनीकी बिड में सफल निविदा दाताओ की वित्तीय बिड खोली जायेगी. निविदादाता निम्न प्रपत्र में ऑनलाईन दर प्रस्ताव देना होगा

दर प्रस्ताव प्रपत्रः–

क्र.सं.	कार्य का नाम नगर निगम बीकानेर की नथाणिया गौशाला में पषु आहार सप्लाई कार्य।	मात्रा	ईकाई	संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर (सभी करो सहित)
	1. हरा चारा (मक्का, ज्वार, बाजारा, जई, रिचका)	01	प्रति किग्रा	
	2. गेहू का भूसा(तूडी)	01	प्रति किग्रा	
	3. बाजरे की कुट्टी एवं सूखला	01	प्रति किग्रा	
	4. ज्वार, सोयाबिन	01	प्रति किग्रा	
	5. रसकट गुड	01	प्रति किग्रा	
	6. बिनोला खल	01	प्रति किग्रा	
	7. मुंग चूरी	01	प्रति किग्रा	
	8. मूंगफली चारा	01	प्रति किग्रा	
	9. ग्वार फली चारा(फलगटी)	01	प्रति किग्रा	

3. सामान्य शर्ते

1. The law relating to procurement 'The Rajasthan transparency in public procurement act 2012 and 'The Rajasthan transparency in public procurement Rules2013,GF&AR, PWF&AR Which are available on state public Procurement portal http://sppp.rajasthan.gov.in Therefore,the bidders are advised to acquaint themselves with the provision of the act and the rule before participating in the bidding process, if there is any discrepency between the provision of this act and the rule and this bidding document, the provision of the act and rules shall be prevail.
2. बोलीदाता से अपेक्षित किया जाता है कि वह बोली का अपलोड/जमा करवाने या हस्ताक्षर करने से पूर्व इन नियमों, शर्तो एवं प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़कर व समक्ष कर ही भरे/अपलोड कर यदि किसी शर्त एवं प्रावधान के संबंध में कोई संदेह हो तो बाली अपलोड करने की निर्धारित अंतिम दिनांक व समय से पूर्व कार्यालय से उसका निवारण एवं जानकारी प्राप्त की जा सकती है अन्यथा यह समझा जावेगा कि समस्त शर्त एवं प्रावधान आदि सवेदक को समझ में आ गया है एवं इस संबंध में समस्त जिम्मेदारी बोली दाता की होगी।
3. बोली द्वि–कवर पद्वति के अनुसार आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम भाग तकनिकी बोली का होगा जिसमें समस्त तकनिकी योग्यता, बोली दस्तावेज की प्रति पर हस्ताक्षर मय सील सहित आवश्यक मांगे गये समस्त दस्तावेज पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करने होगे तथा द्वितीय भाग वित्तीय बोली होगी जिसमें दर की ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी तथा तकनिकी बोली में सफल तकनिकी बोली दाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जिसके लिए अलग से सूचित कर दिया जाएगा।

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं:– 0151–2226902, 2226905,
Email Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- www.bikanermc.org

कार्य का नाम– नगर निगम बीकानेर की नथानिया गौशाला में पशुओं के लिये हरा एवं सूखा चारा आपुर्ति कार्य।

1. **तकनीकी बिड (प्रथम भाग):–** निविदा में भाग लेने वाली फर्मो की तकनीकी जॉच निम्न बिन्दुओ के आधार पर की जायेगी उक्त बिन्दुओं अनुसार सफल निविदादाता की ही वितीय बिड खोली जायेगी।

क्रं.सं	दस्तावेज का विवरण
01	निविदा शुल्क 1000 रुपये, प्रोसेसिंग फीस जयपुर, 1000 रूपये, बिड सिक्योरिटी निविदा मूल्य का 2 प्रतिषत भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया से करना होगा। इस हेतु नगर निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन से करना होगा। सवेंदक को भुगतान के पश्चात रशीद को ऑनलाईन साईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
02	फर्म/ संवेदक का रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से प्रमाणित शपथ–पत्र
03	आयकर (पैन नम्बर) व GST पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
04	पंजीकृत फर्म का अंतिम तीन वर्ष में (वर्ष 2019–20,2020–21,2021–22) औसत टर्नऑवर 50.00 लाख का होना चाहिए। इस हेतु सी.ए. का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
05	पंजीकृत फर्म द्वारा 01.04.2021 से निविदा जारी होने की दिनांक तक गेहुं का भुसा (तुडी) सप्लाई के 70 लाख रूपये का कार्य आदेश/आपूर्ति आदेश होना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र या आपूर्ति प्रमाण पत्र/सरकारी विभाग/स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। निजी संस्था से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। (संलग्न परिशिष्ठ 2 के अनुसार)
06	01.04.2020 से निविदा जारी होने के दिनांक तक पशु आहार सप्लाई के राजकीय कार्यालय में/विश्व विधालय/सरकारी उपकमों में 10 कार्य आदेश होना अनिवार्य है।
07	फर्म ब्लेक लिस्ट नही होने का 100 रू. का स्टाम्प पर शपथ पत्र।
08	परिशिष्ठ 1,2
09	Annexure - A B C D

4. बोली दस्तावेजो मे किसी शर्तो, प्रावधान, शास्ति आदि का आपस में विरोधाभास होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अन्तिम एंव मान्य /बाध्य होगा।
5. बोली प्रकिया पर बोलीदाता को कोई भी आपति होने पर राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान अनुसार अपील की जा सकती है अन्य प्रकार की शिकायत पर विचार नही किया जावेगा ।
6. कार्यालय न्यूनतम दर की निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है तथा निविदा अथवा उसके किसी भी भाग को लिए बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम बीकानेर को होगा ।
7. समय पर सप्लाई ना करने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित कर रिस्क एव कोस्ट नियम लागू होगा ।
8. निविदादाता ठेका /कार्य अथवा कार्य के किसी भाग को उपभाडे (सबलेट) नही देगा ।
9. दर्रे गन्तव्य स्थानतक एफ.ओ.आर उद्वत की जानी चाहिए उन मे सभी अनुशंगिक प्रभारो को शामिल करना चाहिए।
10. निविदादाता को बिड डॉक्यूमेन्ट ऑनलाईन डाउनलोड करने होगें।
11. निविदा शुल्क एवं निविदा प्रोसेस शुल्क का रिफण्ड क्लेम नहीं किया जायेगा।
12. बिड सिक्योरिटी निविदा राषि का 2 प्रतिषत ऑनलाईन जमा करवाना होगा।
13. अनुबन्ध 01 वर्ष का होगा जो आदेश जारी होने की तिथि के आगामी दिवस से प्रभावी माना जायेगा। आरटीपीपी रूल्स 29 के अनुसार किसी न्युनतम मात्रा की गारण्टी नहीं दी जा रही है।
14. समस्त राजकीय एवं अन्य करो, सप्लाई हेतु प्रयुक्त वाहनों तथा व्यक्तियों का बीमा कराने एवं अन्य समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी।
15. दरे कार्यादेष जारी दिनांक से 01 वर्ष तक मान्य होगी तथा नियमानुसार आगे बढ़ाई जा सकेगी।
16. यदि आयकर लगता है तो अधिकार नियमानुसार काटा जायेगा।
17. बोलियों की विधिमान्यता कालावधि :— साधारणतया 90 दिन होगी।
18. **विलम्ब से प्राप्त बोलिया** :— बोलिया प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नही करेगी जो बोलिया प्रस्तुतिकरण के लिए नियत समय और तारिख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गयी हो। कोई भी बोली जो बोलियो के प्रस्तुतिकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुची हो को विलम्ब से प्राप्त के रूप में चिन्हित और घोषित किया जायेगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दिया जायेगा।
19. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :— उपापन संस्था बोली लगाने वालो के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियो को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
20. **परिणाम में परिवर्तन का अधिकार** :— संविदा के अधिनियम के समय, बोली दस्तावेजो मे मुलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिणाम में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिणाम के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सह बोली और बोली दस्तावेजो के ईकाई मुल्यो या अन्य निबंधनों और शर्तो में किसी परिवर्तन के बिना होगी।
21. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति** :— कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम 2.5 प्रतिषत जमा करवानी होगी जो कार्यादेष के पूर्व निगम में जमा कराई जानी होगी। जो कार्य समाप्ति पर बिना ब्याज के पुनः लौटा दी जायेगी।
22. **बोली प्रतिभूति** :— प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी या जैस राज्य सरकार निविर्दिष्ट करें। राजस्थान के लधु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित पुनः निर्माण बोर्ड के समख लम्बित है, यह बोली के मूल्य 1 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। बोली प्रतिभूति वेबसाईट www.bikanermc.org. पर Pay ऑनलाईन ऑप्शन माध्यम से जमा दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे विधिमान्य रहनी चाहियें।

23. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त कर दी जाएगी, अर्थात :–

(क) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर लगाने करार, दि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसा माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल हरता है।

(घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

24. सफल बोली लगाने वाले की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन की प्रतिभूति की रकम में समयोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

25. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओ के शीघ्र पश्चात् बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात :–

1. बोली प्रतिभूति की विधिमान्तय के आवसान पर।
2. सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिए करार के निष्पादन ओर कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।
3. उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर।
4. बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय – सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण कर जब तक की बोली दस्तावेजो में यह अनुबन्ध नही हो कि ऐंसा कोई प्रत्याहरण अनुात नहीं किया गया हो।

26. करार का निष्पादन :–

1. कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी। जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित किया जाता है।
2. सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहां बोली दस्तावेज में कोई कालावधि विनिर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।
3. यदि बोली लगने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाल के विरूद्ध अधिनियम या इन नियमों के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज मं उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर बोली लगाने को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।
4. बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिये कहा जायेगा।

27. परिणाम में परिवर्तन को अधिकार :—

1. यदि उपापन संसीा परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजो में विनिर्दिष्ट परिणाम से कोई कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजो में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
2. अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिणामों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजो में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तो पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों आंमत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। न्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि की अनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाए निम्नलिखित होगी।

   (क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशम और मूल संविदा के मूलय का 50 प्रतिशत और

   (ख) मूल संविदा के माल या सेवाओ के मूल्य का 50 प्रतिशत।

28. **बोली दस्तावेजों में परिवर्तन** :— बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय—सीमा से पूर्व भी समय उपापन संसीा किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरूप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजो को उपांतरित कर सकेगी।

29. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :—

1. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजो में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यता 90 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहियें किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युतर दयसत्रायी के यप मे उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।
2. बोलियो की विधिमान्यता की कालावधि के अवासन के पूर्व उपापन संस्था आपवाकि परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता हैं औ ऐसी अस्वीकृति बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी, परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहत की जायेगी।
3. ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता क कालावधि के रूप में विस्तार करेगें/करायेगें। या उनकी बोली की विधिमान्यता की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली की विधिमान्यता की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नहीं बोली प्रतिभूतियों प्रस्तुत करेगें। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नई बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है। इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

30. समयावधि में वृद्धि :— नगर निगम फर्म द्वारा प्रस्तुत कारणों से संतुष्ट है तो आपूर्ति आदेश में दिये गये समय में नियमानुसार समयावधि में वृद्धि कर सकेगा। इस हेतु आयुक्त/महापौर सक्षम होंगे।
31. जुर्माना :— बोली लगाने वाला करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात् यदि कार्य नहीं करता है या कार्य अधूरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी तथा नगर निगम से अधिकांश तीन वर्षो के लिए फर्म को ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी बिडर स्वंय की होगी। विशेष शर्तो में अंकित शर्ते भी लागू होगी।
32. इनके अलावा शेष अन्य शर्ते RTPP ACT 2012 & RULE 2013 & GF & AR मे वर्णितानुसार लागू होगी। जहॉ अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 व जीएफ एण्ड एआर की शर्तो में भिन्नता होने पर आर.टी.

.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 मान्य होगें, वित विभाग द्वारा जारी संबंधि अधिसूचना तथा डी.एल.बी. जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना आदि के अधिन होगी ।

- **हरा/सुखा चारा सप्लाई की विशेष शर्ते तथा पेनल्टीज का विवरणः—**

1. सप्लाई किये जाने वाले चारे में कोई असामान्य रंग व गंध नहीं होनी चाहिए। चारे की कटाई सही ढंग की हुई होनी चाहिए, चारा फफुन्द, मिट्टी, रेत, पत्थर, लकडी के टुकड़े, प्लास्टिक, पानी से रहित होना चाहिए। चारे की गुणवता के विषय में प्रभारी अधिकारी नथाणिया गौशाला नगर निगम का निर्णय अंतिम होगा तथा सप्लायर को मान्य होगा।
2. सूखा चारा साफ सुथरा व सुनहरे रंग का होना चाहिए हाथ की मुठ्ठी में लेने पर केक नहीं बने अर्थात मुठ्ठी खोलने पर पुनः बिखर जाये। सूखा चारा पशु के लिये डाइजेस्टेबल व न्यूट्रीट प्रोटीन फाईबर युक्त होना चाहिए।
3. हरा चारा ताजा व रसदार होना चाहिए। जिसमें गाजर घास, अमरबेल आदि खरपतवार मिश्रित न हो।
4. सप्लाई किये जाने वाले चारे को धर्मकांटे से तुलवाकर धर्मकांटे की रसीद के साथ देना होगा।
5. सप्लायर को नथाणिया गौशाला घोल की पाटी में स्वंय के खर्चे से 200 किग्रा क्षमता का इलेक्ट्रोनिक कांटा उपलब्ध करवाना होगा। जिस पर सप्लाई किये गये चारे का वजन पुनः जाँचा जायेगा। यह इलेक्ट्रोनिक काटा संविदा अवधि पूर्ण हो जाने पर सप्लायर पुनः ले लायेगा।
6. सप्लायर को चारे की मात्रा नथाणिया गौशाला में रखे हुये पशुओ की संख्या के आधार पर सुचित व आदेशित की जायेगी। आदेशित मात्रा के अनुसार सप्लाई करनी होगी।
7. सप्लायर को नियमित रूप से मांग मात्रानुसार सप्लाई देनी होगी। यदि सप्लाई नही दी जाती है तो 5000/— रू प्रतिदिन की दर से शास्ती आरोपित की जायेगी तथा निगम द्वारा खुल बाजार से क्रय करने पर जो भी अन्तर राशि होगी वह भी सप्लायर से वसुल की जायेगी।
8. यदि सप्लायर पर संविदा अवधि में उक्त शर्त संख्या 07 के अनुसार 20 शास्तिया आरोपित हो जाती है तो नगर निगम को अधिकार होगा कि सप्लाई कार्य को अंसतोषप्रद मानते हुये निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर सप्लायर को अधिकतम 3 वर्ष के लिये विवर्जित कर नई निविदा आमंत्रित करें। अतः सप्लायर को नियमित रूप में गुणवतापूर्ण चारा सप्लाई करना होगा।
9. नथाणिया गौशाला में निर्धारित स्थानों पर चारा अनलोड करने का कार्य सप्लायर द्वारा किया जायेगा।
10. संवेदक को मासिक भुगतान किया जायेगा। संवेदक को दायित्व होगा कि वो प्रत्येक माह का बिल 10 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दे।
11. संवेदक द्वारा हरा चारा (ज्वार, मक्का, बाजरा) की कुट्टी करके सप्लाई करनी होगी।

नोट :— निविदा से संबंधित जानकारी एवं सुझाव नगर निगम की E-mail. nagarnigambikaner@gmail.com पर दे मेल के माध्यम से दे सकते है। अधिक जानकारी के लिये प्रभारी अधिकारी गौषाला सरेह नथानियां से सम्पर्क कर सकते है।

स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम बीकानेर	**प्रभारी अधिकारी गौशाला**	**मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम बीकानेर**	**आयुक्त नगर निगम बीकानेर**

घोषणा – पत्र

नगर निगम द्वारा नथाणिया गौशाला में रखे जाने वाले पशुओं के लिए चारा आपुर्ति कार्य हेतु जारी ई–निविदा संख्या .... दिनांक .... के संबंध में हम एत्द द्वारा घोषणा करते है कि उक्त निविदा की समस्त शर्तो का मैनें/हमने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि आयुक्त नगर निगम का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्ट्रेड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय विगत 03 वर्षो 19–20, 20–21,21–22 से किया जाता है तथा वाछिंत मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्व/विद्यालय/स्वायतशासी संस्था/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेंरी/हमारी फर्म को ब्लेक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतीकस्वरूप बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मय सील)कर दिये है। हमारी दरे नथाणिया गौशाला नगर निगम तक की है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए नगर निगम स्वतंत्र होगा तथा बिड को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकता है हमारी फर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक ....

बिडदाता के हस्ताक्षरमय रबर सील

बिडदाता का नाम ....

पूर्ण पता...

....

मोबाईल नं0 ....

परिशिष्ठ 2

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

जारी कता कार्यालय का नाम व पता

क्रमांक   दिनांक

जिससे भी संबंधित हो प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स ....(बिडर का नाम व पता) द्वारा इस कार्यालय में निम्नुनसार गेहुॅ का भुसा (तुडी) आपुर्ति का कार्य संतोषप्रद किया गया है :–

क्र0 सं0	अवधि	कार्यादेश राशि	भुगतान राशि

जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
मय नाम व सील

नोट :– उक्त अनुभव प्रमाण पत्र केवल राजकीय विभाग/स्थानिय निकाय या विश्वविद्यालय से जारी होने पर ही मान्य होगा। (तकनीकी बिड में अर्हता की शर्त सं.04 देखें)

Enclosure-A

Form of Bid- Securing Declaration

To,

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the Bid- Securing Declaration amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after Opening of bids;

(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;

(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;

(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed ;and

(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules. In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire Bid-Securing Declaration or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity. We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

(i) we are not the successful Bidder;

(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;

(iii) thirty days after the expiration of our Bid.

(iv) the cancellation of the procurement process; or

(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed.:---------------------------------------

Name :---------------------------------------

In the capacity of :---------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of:

Dated on day of

Corporate Seal ------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid,]

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1
[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal:
....
....
.... (Supported by an affidavit)
7. Prayer:
....
....
....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.